

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य दिनांक 19.09.23

दूसरे व्यक्ति की जमीन का फर्जी बैनामा करके पैसा हड़पकर अपनी चल अचल सम्पत्ति बेचकर 3 वर्ष से फरार चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दिनांक 27.09.20 को वादी श्री परसादी पुत्र तिलक नि०मो० राय टोला थाना खुटार शाह०पुर के द्वारा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर मु०अ०स० 782/2020 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया जिसके अनुसार वादी मुकदमा के चाचा की जमीन का फर्जी वारिस बनकर जमीन का बैनामा सहअभियुक्त लालाराम पुत्र तौलेराम निवासी मो० नरायणपुर विक्रमपुर कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर को कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया जिसमें वीरपाल व सुरेश पुत्रगण बिहारी निवासी मोहल्ला पटवा वार्ड थाना खुटार जिला शाह०पुर जो करीब 03 वर्ष से फरार चल रहे थे जिसमें अभियुक्त वीरपाल को दिनांक 05.07.2023 को गिरफ्तार कर जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था तथा शेष बांछित अभियुक्त सुरेश को सर्विलांस सेल के माध्यम से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री अशोक कुमार मीना के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री संजीव कुमार वाजपेयी व क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ श्री पंकज पंत के कुशल प्रयत्न में 03 वर्ष से फरार चल रहे अभियुक्त सुरेश पुत्र बिहारीलाल निवासी मो० पटवा वार्ड कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी c/o धीरज कुमार निवासी बिसनपुरा गली नं० 04 शनिदेव मन्दिर के पास थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर को सर्विलांस सेल के माध्यम से लोकेशन प्राप्त कर बस स्टैण्ड के सामने पुवायाँ से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के पश्चात मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

सुरेश पुत्र बिहारीलाल निवासी मो० पटवा वार्ड कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी c/o धीरज कुमार निवासी बिसनपुरा गली नं० 04 शनिदेव मन्दिर के पास थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक अपराध श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 1300 विपुल मलिक थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर